



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/क.अभि./वि.चौ./एपीओ/17/4304

जयपुर दिनांक- 15.11.2017

:- आदेश :-

श्री विजय चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, आहौर (जालौर) को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है ।

श्री चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी उपस्थिति पंचायती राज मुख्यालय पर देवें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
3. जिला कलेक्टर, जालौर ।
4. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालौर ।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. श्री विजय चौधरी, कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, आहौर (जालौर) ।
7. निजी / आरक्षी पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव